## (TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY (PART-I (SECTION-1)

Government of India Ministry of Commerce & Industry Department of Commerce Directorate General of Foreign Trade

## Public Notice No. 19 /2025-26 New Delhi, Dated 8th July, 2025

## Subject: Fixation of new Standard Input Output Norms (SIONs) at SION (A-3687, A-3688 and A-3689 under 'Chemical and Allied Product' (Product Code 'A').

In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy-2023 as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the three new SIONs with Serial Number A-3687, A-3688 & A-3689. These new entries shall be as under:

SION No.	Export product	Qty.	Sl. No.	Import Item	Qty. allowed
A-3687	Azithromycin Dihydrate	1 kg.	1	Azithromycin Amine	0.9434 kg.

SION No.	Export product	Qty.	Sl. No.	Import Item	Qty. allowed
A-3688	Aldehyde C10	1 kg.	1	Fatty Alcohol C10	1.40 kg.
	(Capric Aldehyde)			(98% purity)	

SION No.	Export product	Qty.	Sl. No.	Import Item	Qty. allowed
A-3689	Ceftazidime Powder for formulation of solution for Intramuscular and Intravenous administration 1000 mg.	l Number	1	Ceftazidime for Injection Bulk Sterile	1280 mg.

Effect of the Public Notice: Three new SIONs for export products under Chemical & Allied Product Group are being notified.

(Ajay Bhadoo) Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secretary to the Government of India e-mail: <u>dgft@nic.in</u>

(Issued from File No. 01/82/0008/AM-26/DES-III)

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग विदेश व्यापार महानिदेशालय

## सार्वजनिक सूचना सं. 14/2025–26 नई दिल्ली, दिनांकः 8 जुलाई, 2025

विषयः 'रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद' (उत्पाद कोड 'ए') के अंतर्गत सिओन (ए—3687, ए—3688 और ए—3689) में नए मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) का निर्धारण।

समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा क्रम संख्या **ए—3687, ए—3688 और ए—3689** के साथ तीन नए सिओन को अधिसूचित करते हैं। यह नई प्रविष्टियाँ निम्नानुसार होंगी:

सिओन सं.	निर्यात उत्पा्द	मात्रा	क्रम सं.	आयात मद	अनुमत मात्रा
ए—3687	एज़िथ्रोमाइसिन डाइहाइड्रेट	1 किलोग्राम		एज़िथ्रोमाइसिन अमाइन	

अनमत मात्रा	आयात मद	क्रम सं.	मात्रा	निर्यात उत्पा्द	ासआन स.
3	फैटी अल्कोहल सी10	1	1	एल्डिहाइड सी10 (कैपिक प्रतित्वादन)	~~ (
)	फैटी अल्कोहल सी1( (98% शुद्धता)	1	1 किलोग्राम	(कैप्रिक एल्डिहाइड)	

सिओन सं.	निर्यात उत्पा्द	मात्रा	क्रम सं.	आयात मद	अनुमत मात्रा
ए—3689	इंट्रामस्क्युलर और इंटरविनस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सॉल्यूशन के फॉर्म्यूलेशन हेतु सेफ्टाजिडाइम पाउडर 1000 मिलीग्राम।	1 संख्या	1	इंजेक्शन बल्क स्टेराइल के लिए सेफ्टाजिडाइम	1280 मिलीग्राम

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद समूह के अंतर्गत निर्यात उत्पादों के लिए तीन नए सिओन अधिसूचित किए जा रहे हैं।

(अजय भादू) महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार ई—मेलः <u>dgft@nic.in</u>

(फा. सं. 01/82/0008/एएम-26/डीईएस-III से जारी)